न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 22/2020
जीसीएमएस न0:– 2020/00058
दायर दिनांक :– 17/09/2020
निर्णय दिनांक :– 18/09/2023

अनवान

1. श्री गोपीलाल पिता रूपा जी गुर्जर निवासी करणपुरिया, तह0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द

————अपीलांट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द

————रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 852/2019, निर्णय दिनांक 16.10.2019

उपस्थित :–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री अनिल कुमार बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 18.09.2023

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम करणपुरिया पटवार हल्का बिनोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 180 एवं 209 रकबा क्रमशः 20 बीघा एवं 2 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये वार्षिक लगान रूपये 14 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 700/– आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 16.10.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध राजस्व ग्राम करणपुरिया पटवार हल्का बिनोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 180 एवं 209 रकबा क्रमशः 20 बीघा एवं 2 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर अपीलान्ट का अतिक्रमण बताते हुए धारा 91 की कार्यवाही हेतु तहसीलदार कुंवारिया के यहा रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस प्रेषित किया और उसमें अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली के

आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 36 साल से कब्जा आधिपत्य है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की दीवार बनाकर भूमि को समतल कर काश्त योग्य बनाया हे। अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य होते हुए भी अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने में त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी का 36 साल पुराना कब्जा आधिपत्य रेकर्ड से प्रमाणित है।

उक्त भूमि पर वर्ष 2019 में दिनांक 16.10.2019 को बेदखली का जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि के विपरीत है। उक्त आदेश साइक्लोस्टाइल प्रफोर्मा में पारित किया गया है, जिससे यह प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले में न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है

उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतू परिपत्र क्रमांक– प–6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भुमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतू किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की तारीख 15.07.1994 से बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2018 में उक्त अवधि बढाकर 2000 से 2018 कर दी गई है। प्रशासन गॉवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है। और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में जो निर्णय किया है और जिस आलोच्य निर्णय को अपीलान्ट द्वारा चुनौती दी गयी है वह निर्णय ही अधीनस्थ न्यायालय का छपे प्रफोर्मे को भरकर पत्रावली को निर्णित करना दर्शाया है जो न केवल विधि विरूद्ध है बल्कि न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड को देखा ही नहीं निर्णय को लिखाया ही नहीं। केवल छपे हुए प्रॅफोर्मे पर निर्णय दर्शाते हुए पत्रावली फैसल कर दी गयी। जो अवैध एवं विधि विरूद्ध है। न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है और उस संक्षिप्त कार्यवाही से उसे बेदखल करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही हैं। धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही हैं इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज0 राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नही है। लेकिन उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त के मद्धेनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है– Rajasthan Land Revenue Act 1956-Sec 91-Applicability-Tehsildar issued notice u/s 91 to respondent for Sawai Chak,- Respondent has put forward bona fide claim about her right to remain inoccupation over the land. The said claim raises questions involving applicability and interpreration of various laws and documents as well as investigation into disputed questions of fact involving recording of evidence, These matters could not be satisfactorily adjudicated in summary proceedings under Section 91 of the act and can be more properly considered in regular proceedings in the appropriate forum.

उक्त भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं है, बल्कि अपीलार्थी को दिनांक 27.06.1986 को जरिये मिसल संख्या 462 सन् 1985 गोपीलाल बनाम सरकार उप जिलाधीश राजसमन्द द्वारा आवंटित की गई तथा आवंटन आदेश के अनुसरण में मौके पर अपीलार्थी को

कब्जा सुपुर्द किया गया है, तब से अपीलार्थी माफिक आवंटन आदेश भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त कर रहा है तथा भूमि को अपीलार्थी ने विकसित किया है, अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी की उक्त भूमि का नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस ,प्रस्तुत विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध, रिकार्ड, एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम करणपुरिया पटवार हल्का बिनोल तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 180 एवं 209 रकबा क्रमशः 20 बीघा एवं 2 बीघा भूमि किस्म बिलानाम पर अतिक्रमण है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, की धारा–91, में की गई बेदखली की कार्यवाही तथा लगान 14 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 700/– आरोपित करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–91, के प्रावधानों व निर्धारित विधिक प्रकियानुसार होने से विधि सम्मत है, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं, अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारीज की जाती है। प्रार्थी भूमि आंवटन हेतू पृथक से सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

18/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

18/09/2023

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द